तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधीन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं मूल रेफरेन्स प्रकरण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील मंदिर चर्तुभुज जी महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण में मंदिर चर्तुभुज जी की ओर से जिनके कि नाम आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व खातेदारी दर्ज थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा मंदिर के पुजारी स्वयं ही मंदिर की भूमि को हड़पना चाह रहे है। इस कारण उक्त प्रकरण में मंदिर मूर्ति चर्तुभुज जी महाराज शहर सवाई माधोपुर नाबालिग जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड सायाजीराव पुत्र श्यामराव जाति मराठा निवासी शहर सवाई माधोपुर, विनोद शंकर माली पुत्र अमरलाल माली निवासी शहर सवाई माधोपुर को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण की सुनवाई का किया जाना आवश्यक है जिससे कि मंदिर के हितो की रक्षा हो सके। मंदिर की उक्त अराजीयात में प्रार्थी नेक्स्ट फ्रेण्ड का कोई भी व्यक्तिगत हित नहीं है बल्कि मंदिर के हितो की रक्षा के लिये ही कार्यवाही कर रहे हैं। अन्त में वकील मंदिर चर्तुभुज जी महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मंदिर को जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई की जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील मंदिर चर्तुभुज जी महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड द्वारा दिये गये तर्क का खण्डन करते हुए बहस में कथन किया कि विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रदान किये गये है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में दर्ज रेगुलर सूट में विधिवत निर्णय दिनांक 28.6.23 की पालना में नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 08.08.2023 खोला गया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 28.6.23 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में अपील संख्या 9/24 पेश कर रखी है जो वर्तमान में लम्बित है। जिसमे तहसीलदार लैण्ड होल्डर सवाई माधोपुर स्वयं पक्षकार है। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार स्वयं पक्षकार हो तो मंदिर चर्तुभुज जी महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड को पक्षकार बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वकील रेस्पोडेन्टस ने बहस में यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 28.6.23 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में की गई अपील वर्तमान में लम्बित है। जहां गुणावगुण पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानुसार राजस्व रिकार्ड के मद्देनजर पारित निर्णय को नियमित राजस्व अपीलीय प्रक्रिया में सुना जाकर निर्णित किया जाना है इसलिए प्रकरण में धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत संक्षिप्त/समरी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही के आधार व अवसर प्रदान नहीं किये जा सकते। प्रार्थी पक्ष अपनी आपत्तियां नियमित अपील में प्रस्तुत करवा सकते हैं, जिस बाबत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में लंबित है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उक्त अपील के काफी समय पश्चात् दिनांक 02.09.2024 को न्यायालय हाजा में न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.6.23 की पालना में स्वयं के द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 08.08.2023 को निरस्त करने हेतु गलत तरीके से रेफरेन्स प्रकरण बनाकर पेश किया गया है जोकि खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट्स ने वकील मंदिर चर्तुभुज जी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested

महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधीन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पेश किये गये रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.6.23 की पालना में खोले गये नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 8.8.23 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 02.09.2024 को एक रेफरेन्स पेश किया गया है। इसके पूर्व से ही न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.6.23 के विरूद्ध मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष एक अपील संख्या 9/2024 पेश की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन चल रही है। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.6.23 के विरूद्ध पेश की गई अपील तथा न्यायालय हाजा में न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर कउक्त निर्णय दिनांक 28.6.23 की पालना में खोले गये नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 8.8.23 को निरस्त करने हेतु पेश किये गये रेफरेन्स प्रकरण दोनो अलग-अलग कार्यवाहियां है। विचाराधीन रेफरेन्स में दिनांक 12.5.25 को न्यायालय हाजा के समक्ष मंदिर चर्तुभुज जी महाराज जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड द्वारा सायाजीराव पुत्र श्यामराव जाति मराठा निवासी शहर सवाई माधोपुर, विनोद शंकर माली पुत्र अमरलाल माली निवासी शहर सवाई माधोपुर ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधीन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है जो सही नहीं है। रेफरेन्स प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा सरकार की ओर से पेश किया गया है जिसमें सायाजीराव पुत्र श्यामराव एवं विनोद शंकर माली पुत्र अमरलाल माली निवासीयान शहर सवाई माधोपुर का कोई निजी हित प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः दिनांक 12.5.25 को पेश प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस में यह भी तर्क दिया कि प्रकरण धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया है जिसमें वादग्रस्त आराजी विपक्षीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई मधोपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 153/2022 उनवानी गोविन्द बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 की पालना में मंदिर श्री चतुर्भुज नाथ जी महाराज स.मा. के बजाय गोविन्द पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, राजेन्द्र पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, लक्ष्मीकान्त पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, एकता पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, राधा पुत्री मोहनलाल हिस्सा 1/6 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, रिंकू पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्रहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर, सीमा पुत्री मदनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर सीता देवी पत्नी स्व0 मदनलाल हिस्सा 1/10 जाति ब्राहमण निवासी शहर सवाई माधोपुर के नाम पर नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 08.08.23 भरा गया है जबकि वादग्रस्त आराजी पूर्व राजस्व रिकार्ड एवं राजकीय आदेश की पालना में मंदिर माफी के नाम दर्ज रही है इसलिए रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी मंदिर माफी के नाम ही दर्ज की जावे तथा नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 08.08.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि

Signature Not Ver
Digitally signed by Sa
Date: 2025.07.09 17:
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.5.2025 को सायाजीराव पुत्र श्यामराव जाति मराठा निवासी शहर सवाई माधोपुर, विनोद शंकर माली पुत्र अमरलाल माली निवासी शहर सवाई माधोपुर ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधीन आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रकरण में बतौर नेक्स्ट फ्रेण्ड मंदिर चर्तुभुज जी महाराज पेश कर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया है किन्तु जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड सायाजीराव पुत्र श्यामराव एवं विनोद शंकर माली पुत्र अमरलाल माली निवासीयान शहर सवाई माधोपुर को कोई निजी हित प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रकरण में तहसीलदार लैण्ड होल्डर स्वयं पक्षकार है जिन्होंने न्यायालय उप जिला कलेक्टर के निर्णय के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में अपील की हुई है, जो लंबित है। अतः मंदिर के हितो की रक्षा हेतु बतौर नेक्स्ट फ्रेण्ड पक्षकार बनाये जाने का तर्क न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक रेफरेन्स के स्वीकार किये जाने का प्रश्न है तो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकारी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानान्तर्गत नियमित राजस्व वाद से पारित निर्णय एवं डिक्री के तहत प्रदान किए गए हैं तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश की गई है जो वर्तमान में लम्बित है। इसलिए प्रकरण में धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत संक्षिप्त विचरण की प्रकिया के तहत कार्यवाही किया जाना व सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के तहत भरे गए नामान्तकरण द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकार में हस्तक्षेप कर नामान्तकरण निरस्त किया जाना एवं धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत हस्तक्षेप कर आदेश जारी किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि प्रार्थी की नियमित अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर की न्यायालय में लम्बित है, जहां प्रार्थी अपनी समस्त आपत्तियां उठा सकता है।

उक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.5.2025 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा धारा 82 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होकर अस्वीकार कर ड्रॉप किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः रेफरेन्स कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

3/6/2025

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:00 IST
Reason: SelfAttested